न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

अपील संख्या 184/2016

मुखराम पुत्र तेजा राम जाति कुम्हार निवासी बींझबायला तह. पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

—अपीलांट्स

बनाम

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र दयाराम
2. बसन्ती पुत्री राजेन्द्र कुमार
3. नत्थू राम पुत्र बहादर राम
4. रामकुमार पुत्र बहादर राम

जाति जाट निवासीगण बींझबायला तह. पदमपुर जिला श्रीगंगानगर

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पदमपुर।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 225 रा. का. अ 1955
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर
दिनांक 04.10.2016

उपस्थितिः—

श्री दिनेश छाबड़ा, अभिभाषक अपीलांट
श्री विरेन्द्र कुमार स्याग, अभिभाषक अपीलांट
श्री इकबाल सिंह सिद्धू, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक :— 16.08.17

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण/रेस्पों. सं. 1 व 2 ने एक प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी पदमपुर

16/8/17

श्रीगंगानगर (राज.)

के समक्ष रा. का. अ. की धारा 251 ए के तहत पेश कर कथन किया कि प्रार्थी सं. 1 के नाम चक 42 एलएनपी प्रथम के मु. नं. 15 में कि. नं. 4 ता 11 की 1.986 है. व प्रार्थी सं. 2 के नाम कि. नं. 11 ता 14 में 0.671 है. भूमि खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है । कि. नं. 15 की 1.986 है. व 0.671 है. भूमि प्रार्थी सं. 1 ने मनीराम से एवं कि. नं. 11 ता 14 की 0.671 है. भूमि प्रार्थी सं 2 ने जरिए बैयनामा कय की है । भूमि खरीदने से पूर्व मु. नं. 15 व 16 की भूमि मनीराम, लालचंद व मुखराम, नत्थुराम व रामकुमार के नाम थी । इनके मध्य दिनांक 22.05.1988 को एक पारिवारिक समझौता हुआ जिसमें यह तय हुआ कि मु. नं. 16 के कि. नं. 11 ता 15 में 1–1 बिस्वा व मु. नं. 15 के कि. नं. 15 में 1 बिस्वा रास्ता सहमति से छोड़ा गया और उक्त रास्ता लगातार चल रहा है । करीब 5–7 दिन पहले अप्रार्थीगण ने उक्त रास्ता को बंद करने की धमकी दी । यदि उक्त रास्ता को अप्रार्थीगण ने बंद कर दिया तो प्रार्थीगण अपनी भूमि में आ–जा नहीं सकेंगे। अतः निवेदन है कि चक 42 एलएनपी प्रथम के मु. नं. 16 के कि. नं. 11 ता 15 में 1–1 बिस्वा तथा मु. नं. 15 के कि. नं. 15 में 1 बिस्वा व 14 में 1–1 बिस्वा जो पारिवारिक समझोता अनुसार छोड़ा गया है उस रास्ता को स्वीकृत करने के आदेश दिए जाएं।

अप्रार्थी सं. 1 ता 3 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

सुनवाई करने के पश्चात् उपखण्ड अधिकारी पदमपुर ने दिनांक 04.10.2016 को प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए मु. नं. 16

16/8/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

के कि. नं. 15,14,13, 12, 11 में 1–1 बिस्वा व मु. नं. 15 के कि नं. 15 में 1 बिस्वा व कि. नं. 14 में आधा बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने के आदेश दिए एवं रास्ता में आने वाली भूमि के बदले में भूमि ही दिलाए जाने के आदेश दिए जिसके विरूद्ध यह अपील पेश की है ।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनी प्रावधान धारा 251 व 251 ए अवलोकन नहीं किया गया । प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र 251 के तहत पेश किया था जो नया रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु पेश नहीं किया जा सकता । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रास्त स्वीकृत करने के पूर्व न तो मौका निरीक्षण किया न ही वैकल्पिक रास्ता के संबंध में कोई विचार किया गया । अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के रास्ता स्वीकृत किया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट द्वारा 251 व 251 ए के बारे में ही अपनी बहस की है । प्रार्थना पत्र पर अगर धारा गलत अंकित कर दी जावे तो प्रार्थना पत्र के अनुतोष पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता । रास्ता आवश्यकता को देखते हुए स्वीकृत किया जाता है जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार किया है । अपीलाधीन आदेश में कोई त्रुटि नहीं है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

16/8/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

अपीलांट द्वारा यह अपील उपखण्ड अधिकारी पदमपुर के निर्णय दिनांक 04.10.2016 के विरूद्व प्रस्तुत की है जो पहले अधीनस्थ न्यायालय में एवं बाद में इस अपीलीय न्यायालय में रा.का.अ. 1955 की धारा 251 व 251 ए के विवेचन को लेकर अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना व इस न्यायालय में अपीलमीमों का पेश हुआ । यह न्यायालय इन विवेचनों को एक तरफ रखते हुए राजस्थान विधानसभा में जो बिल प्रस्तुत हुआ बाद में कानून के रूप में पारित हुआ कि Bare reading है "Insertion of new section 251-A Rajasthan Act. 3 of 1955 after the existing Section 251 and betre the section 252 of Rajasthan Tenancy Act 1955 (Act 3 of 1955) here after reltered as principal Act, The following new section of under ground pipe line or opening of under ground pipe lith i opening a new through another khatedars holding or enlarging existing way" ही अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का आधार एवं अपील के निर्णय का दिशा–निर्देशन नियम हो सकता है जिसमें रास्ते की आवश्यकता के लिए प्रक्रिया निर्धारित होकर निर्णय की प्राधिकारिता दर्शाई जिसमें आपसी पारिवारिक समझौता या अन्य इससे संबंधित कोई दस्तावेज संदर्भित नहीं है । प्रकरण हाजा में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रास्ते की आवश्यकता एवं औचित्य तहसीलदार की रिपोर्ट होकर रास्ता स्वीकृत किया है । अन्य सभी बातें गौंण है । अतः

16/8/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज की जाती है ।

निर्णय आज दिनांक 16.08.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

16/8/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)